



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102022-239601
CG-DL-E-13102022-239601

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4629]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 12, 2022/आश्विन 20, 1944

No. 4629]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2022/ASVINA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4839(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के नंदयाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग चगलामारी से प्रोद्गाटूर तक संख्या 440 के कि.मी 98.500 से 130.500 मोजुदा का उन्नयन दो लेन में हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-440 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	रेवेन्यू डिविशनल ऑफिसर ,	राष्ट्रीय राजमार्ग	आंध्र प्रदेश	नंदयाल	चागलमारी	1 मल्लावेमुला

	नंदयाल	संख्या NH440 के कि.मी. 98.5 से 130.5 तक				2 चागलामार्री
--	--------	--	--	--	--	---------------

[फा. सं. RW/NH-12014/10/2021-AP/ZONE-III]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2022

S.O. 4839(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders from Chagalamarri to Proddatur road under National Highway No.440 in km. 98.500 to 130.500 in the district of Nandyal in the State of Andhra Pradesh.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 440 in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	REVENUE DIVISIONAL OFFICER, NANDYAL	98.5 KM. To 130.5KM.	ANDHRA PRADESH	Nandyal	Chagalamarri	1 Mallavemula 2 Chagalamarri

[F. No. RW/NH-12014/10/2021-AP/ZONE-III]

RAJESH GUPTA, Director